



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042025-262712
CG-DL-E-26042025-262712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1844]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/ वैशाख 5, 1947

No. 1844]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/ VAISAKHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1883(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-136	तंजावुर – पेरांबलुर खंड (तमिलनाडु राज्य में)	66.200 किमी
रारा-383	डिंडीगुल – कोट्टमपट्टी खंड (तमिलनाडु राज्य में)	38.000 किमी
रारा-544	सलेम से केरल/तमिलनाडु सीमा खंड (तमिलनाडु राज्य में)	तमिलनाडु राज्य में समग्र रारा

[फा. सं. एनएच- 14013/7/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1883(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-136	Thanjavur – Perambalur section (In the State of Tamil Nadu)	66.200 km
NH-383	Dindigul–Kottampatty Section (In the State of Tamil Nadu)	38.000 km
NH-544	Salem to Kerala/Tamilnadu Border (In the State of Tamilnadu)	Entire NH in State of Tamil Nadu

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1884(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 465(अ), दिनांकित 26 अप्रैल, 2002 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
47	सलेम से केरल/तमिलनाडु सीमा खंड (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 182.040

[फा. सं. एनएच- 14013/7/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1884(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway number	Section	Stretch in kilometres
(1)	(2)	(3)
47	Salem to Kerala/Tamil Nadu Border (In the State of Tamil Nadu)	Km. 0.000 to Km. 182.040

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1885(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [नई रारा-87 के किमी 5.000 से 120.484 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापट्टिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 81.600 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83 और 948) [किमी 0.000 से किमी 150.400 (डिंडीगुल - पोल्लाची – कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए, सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई - रास्ता – करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), नई रारा सं. 32 (तूतीकोरीन से कन्याकुमारी खंड), नई रारा सं. 136, (किमी 74.912 से किमी 78.250 तक रारा-45 (नया रारा-38) के साथ ओवरलैपिंग और तंजावूर – पेरांबलुर खंड को छोड़कर), सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 381ए, नई रारा सं. 381बी, नई रारा सं. 383 (डिंडीगुल – कोट्टमपट्टी खंड को छोड़कर), नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	तमिलनाडु राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच- 14013/7/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. का.आ. 1564(अ), दिनांकित 27 मार्च, 2025 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1885(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"22	So much of National Highway No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 120.484 of New NH-87 (Madurai- Paramakudi- Ramanathapuram section), No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to K.m. 218.200] (Nagapatinam- Thanjavur-Trichy-Karur section) No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 81.600 to K.m. 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam- Kerala / Tamil Nadu border Section)], No. 209 (New NH No. 83 and 948) [excluding from Km 0.000 to Km 150.400 (Dindigul- Pollachi- Coimbatore Section)], New NH No. 179A, No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from k.m. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi- Devakottai- Rastha- Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), New NH No. 32 (Tuticorin to Kanyakumari section), New NH No. 136 (excluding overlapping with NH-45 (new NH-38) from Km 74.912 to Km 78.250 and Thanjavur – Perambalur section) , No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, new NH No. 381A, new NH No. 381B, New NH No. 383 (excluding Dindigul–Kottampatty Section) , new NH No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu".

[F. No. NH-14013/7/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 1564(E), dated the 27th March, 2025.